



उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ-226001

दूरभाष : पी०बी०एक्स० 0522-2622363, 2627111

फैक्स : 0522-2623578

पत्रांक:- 733-सीएसी / 15-यू०ओ० 43 सीएसी / 2000

दिनांक 01-5-2015

- | | |
|---|--|
| 1-समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, | 3-समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (वित्त), |
| 2-समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(डिपो), | 4-समस्त सम्परीक्षा अधिकारी,
उ०प्र० परिवहन निगम। |

विषय:-विद्यार्थी पास योजना में आंशिक संशोधन।

उ०प्र० परिवहन निगम में प्रभावी "विद्यार्थी पास योजना" के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त, विद्यार्थी पास की 35 किमी० की अधिकतम सीमा में वृद्धि करते हुये, 60 किमी० की अधिकतम सीमा करने का निर्णय उच्च प्रबन्ध द्वारा लिया गया है। अतः अब 60 किमी० की अधिकतम सीमा तक "विद्यार्थी मासिक पास" जारी किये जायेंगे।

"विद्यार्थी पास योजना" के अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(के० विजयेन्द्र पाण्डयन)
अपर प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक- समसंख्यक एवं समदिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- वित्त नियंत्रक, परिवहन निगम मुख्यालय।
- 2- परिवहन निगम मुख्यालय के समस्त अधिकारी(अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक एवं अपर प्रबन्ध निदेशक, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) को छोड़कर)।
- 3- निजी सचिव-अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक, अपर प्रबन्ध निदेशक, मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन) परिवहन निगम मुख्यालय।
- 4- सहायक प्रबन्धक, (वित्त)/आई०टी०एम०एस०, परिवहन निगम मुख्यालय।
- 5- जनसम्पर्क अधिकारी/प्रभारी-कम्प्यूटर कक्ष, परिवहन निगम मुख्यालय।

(के० विजयेन्द्र पाण्डयन)
अपर प्रबन्ध निदेशक